पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई0 (अग्रहायण 05, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–48

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	911–916	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	853–862	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	577–625	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

07 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 1158/XXIV-B-3/22/16630–

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **राज्य के पांच जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर एवं बागेश्वर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का संचालन/निर्माण सोसायटी मोड में किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 1095/XXIV-3/12/04(02)2008 दिनांक 18 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों व राज्य में संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों को सोसायटी मोड में संचालित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे, तत्पश्चात शासनादेश सं0 1171/XXIV-3/12/02(01)2011 दिनांक 24 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य के पांच जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर एवं बागेश्वर में संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों का नाम परिवतर्तित कर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय करते हुये इन विद्यालयों का निर्माण एवं संचालन लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) में किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उद्यमसिंहनगर का निर्माण एवं संचालन की प्रक्रिया बाधित होने के दृष्टिगत जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त रा0गां0विद्यालयों की स्थापना की जानी थी, उसे प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है एवं इससे उक्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

3– उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रांकः 5ख(2)/4234/रा0गां0न0वि0/2022–23 दिनांक 23 मई, 2022 पत्रांकः सेवायें–2/13476/आ0वि0स0(पी0पी0पी0 मोड़)/22/2022–23 दिनांक 22 अगस्त, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित समस्याओं के निराकरण किये जाने हेतु सम्यक् निर्णयोपरान्त राजीव गांधी

नवोदय विद्यालय–उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं उद्यमसिंहनगर का निर्माण एवं संचालन पी0पी0पी0 (लोक निजी सहभागिता) मोड से परिवर्तित कर सोसायटी मोड में किये जाने एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, चमोली का निर्माण एवं संचालन पी0पी0पी0 (लोक निजी सहभागिता) मोड से परिवर्तित कर सोसायटी मोड में किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– प्रश्नगत रा0गां0न0विद्यालयों का वित्तीय, शैक्षिक एवं सामान्य प्रबंधन शासनादेश सं0 1095/XXIV-3/12/04(02)2008 दिनांक 18 सितम्बर, 2012 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

5– यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जेनरेटेड सं0 67332/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 से प्राप्त सहमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,
सचिव।

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

03 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1597/XV-1/22/7(13)/2022–अधिसूचना संख्या–1387/XV-1/22/7(13)2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 के द्वारा Lumpy Skin Diseaes (LSD) के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण प्रदेश में गौ एवं महिषवंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित गौ एवं महिषवंशीय पशुओं का आवागमन, प्रदर्शनियों, गौ एवं महिषवंशीय के पशुओं एकत्रित करने वाली समस्त गतिविधियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह के लिए निरूद्ध किया गया था। Lumpy Skin Diseaes (LSD) के दृष्टिगत उक्त गतिविधियों को यह आदेश निर्गत होने की तिथि से पुनः 01 माह के लिए निरूद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अधिसूचना

09 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1604/XV-1/07(29) 2017–*भारवाहक एवं कर्षक पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता के निवारण के उद्देश्य से एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, The Prevention of Cruelty to (Licensing of Farriers) Rules, 1965 के Rule-1(b) के प्राविधानानुरुप, 'The Prevention of Cruelty (Licensing of Farriers) Rules, 1965' को उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।*

प्रत्येक जनपद के 'मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी' को The Prevention of Cruelty to (Licensing of Farriers) Rules, 1965 के Rule-2(d) के तहत Licensing Authority घोषित किया जाता है।

अधिसूचना

09 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1605/XV-1/22(07)/2017—*भारवाहक एवं कर्षक पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता के निवारण तथा इन पशुओं को अत्यधिक शोषण से बचाये जाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा श्री राज्यपाल, The Prevention of Cruelty to Draught & Pack Animals Rules, 1965 के Rule-1(2) के प्राविधानानुरुप, "The Prevention of Cruelty to Draught & Pack Animals Rules, 1965" को उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत लागू किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।*

2. *यह अधिसूचना इस प्रतिबन्ध एवं शर्त के साथ तत्काल प्रभाव से लागू होगी कि, इस संबंध में भविष्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) Diary No(s). 43990/2019 (THE STATE OF UTTARAKHAND & ORS. VERSUS NARAYAN DUTT BHATT & ORS.) में निर्गत होने वाले आदेशों के अधीन रहेगी।*

आज्ञा से,

डा0 बी0वी0आर0सी0पुरुषोत्तम,
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

06 सितम्बर, 2022 ई0

संख्या 400/2022/XXVII(9)/स्टाम्प-02/2010—श्री राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 5 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 01/XXVII(9)-2010/स्टाम्प–02/2010 दिनांक 08 मार्च, 2010 तथा अधिसूचना संख्या–एस0आर0–1057/दस–312(273)/70 दिनांक 23 अप्रैल, 1980 में आंशिक उपान्तर करके उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–348(1)/2018/XXVII(9)-2010/स्टाम्प–11/2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 के अधीन राज्य के अधीन समस्त उपजिलों की सीमाओं को यथावत रखते हुये जिलें में अवस्थित समस्त उपजिलों का क्षेत्राधिकार समवर्ती किये जाने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–413/2019 नरपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 27 जून, 2019 को पारित स्थगनादेश एवं प्रकरण में अन्तिम निर्णय के अधीन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–248/XVII(II)-2020-02(24)/2008 टी0सी0 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा 19 राजस्व ग्रामों को तहसील जसपुर की न्याय पंचायत "भरतपुर" से पृथक कर तहसील काशीपुर में सम्मिलित किये जाने के दृष्टिगत इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से विलेखों के पंजीकरण हेतु जिला ऊधमसिंहनगर के उपजिला काशीपुर एवं उपजिला जसपुर की सीमाओं को निम्नानुसार जैसा कि नीचे अनुसूची स्तम्भ–3 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैं :–

अनुसूची :

क0 सं0	उपजिले का नाम	उपजिले की सीमायें
1.	काशीपुर	अधिसूचना संख्या 01/XXVII(9)–2010/स्टाम्प–02/2010 दिनांक 08 मार्च, 2010 के कम में निर्धारित सीमाओं के साथ उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–248/XVII(II)–2020–02(24)/2008 टी0सी0 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा तहसील काशीपुर में सम्मिलित न्याय पंचायत "भरतपुर" के नाम 19 ग्राम

2.	जसपुर	अधिसूचना संख्या 01/XXVII(9)–2010/स्टाम्प–02/2010 दिनांक 08 मार्च, 2010 के क्रम में निर्धारित सीमाओं में से उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–248/XVII(II)–2020–02(24)/2008 टी0सी0 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा तहसील जसपुर से पृथकृत न्याय पंचायत "भरतपुर" के नाम 19 ग्राम को छोड़कर जसपुर की राजस्व तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र

आज्ञा से,

देवेन्द्र पालीवाल,

अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.400/XXVII(9)/Stamp-02/2010 Dehradun, dated, 06 September, 2022 for general information.

NOTIFICATION

September 06, 2022

No.400/2022/XXVII(9)/Stamp-02/2010–In exercise of the powers conferred under section-5 of Registration Act, 1908, (Act No. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 16 of 1897) and in partial modification of Notification no. 01/XXVII(9)-2010/stamp-02/2010 dated 08th March 2010 and Notification no. SR-1057/10-312(273)/70 dated 23rd April, 1980 in the context of Notification no.-248/XVII(II)/2020-02(24)/2008 T.C dated 12th May, 2020 of the Uttarakhand Government which separated 19 revenue villages of Nyay panchayat "Bharatpur" of Tehsil Jaspur and included them in Tehsil Kashipur, under the Notification no. 348(1)2018/XXVII(9)/Stamp-11/2014 dated 11.12.2018 of Uttarakhand Government under section 5 of Registration Act 1908, keeping the limits of all sub district in the state unchanged, makes the jurisdiction of all sub district in the district concurrent and under the stay & final Judgement of Hon'ble High Court, Uttarakhand Nainital in writ petition no-413/2019 Narpal singh v/s State of Uttarakhand and others in this regard, the Governor is pleased to define the limits of sub district Kashipur and sub district Jaspur for the purpose of registration of documents with effect from the date of publication of this notification as mentioned in column-3 of the schedule given below.

SCHEDULE

Sl. No.	Sub-Districts of Udhamsinghnagar	Limits of Sub-District's
1.	Kashipur	Limits as assigned by Notification no. 01/XXVII(9)-2010/stamp-02/2010 dated 08th March 2010 along with 19 villages of Nyay panchayat "Bharatpur" included in Tehsil Kashipur by notification no-248/ XVII(II)/ 2020 - 02(24)/2008 T.C dated 12th May, 2020
2.	**Jaspur**	Limits as assigned by Notification no. 01/XXVII(9)-2010/stamp-02/2010 dated 08th March 2010 excluding 19 villages of Nyay panchayat "Bharatpur" separated from Tehsil Jaspur by notification no-248/ XVII(II)/2020-02(24)/2008 T.C dated 12th May, 2020, all areas of Revenue teshil Jaspur.

By Order,

DEVENDRA PALIWAL,

Add. Secretary.

वित्त अनुभाग–8

19 अक्टूबर, 2022 ई0

संख्या 71352/2022/12(B)(100)/XXVII(8)/2014–

प्रेषक,

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–श्रीमती शिवानी त्रिपाठी, सहायक आयुक्त राज्य कर, का नाम परिवर्तित किये जाने की शासकीय अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में अपर आयुक्त(वि0वे0) राज्य कर मुख्यालय, देहरादून के पत्र सं0–2261/ आयु0रा0कर0उत्तरा0/स्था0अनु0/2022–23/देहरादून, दिनांक 15.07.2022 एवं संगत अभिलेखों/संलग्नकों के परीक्षणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती शिवानी त्रिपाठी, सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड का नाम विवाह उपरांत परिवर्तित कर **"श्रीमती शिवानी त्रिपाठी भारती"** किये जाने की शासकीय अनुमति संगत शासनादेश में निहित प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है–

(1) नाम परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।
(2) नाम परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जाय।
(3) यह सुनिश्चित किया जाय कि नाम परिवर्तन किये जाने से कोई न्यायिक प्रकिया बाधित न हो।

देवेन्द्र पालीवाल,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/682–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई0 (अग्रहायण 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

November 03, 2022

No. 336/XIV/57/Admin.A/2003--Shri Ajay Chaudhary, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.09.2022 to 24.09.2022 with permission to prefix 10.09.2022 & 11.09.2022 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 25.09.2022 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

November 03, 2022

No. 337/XIV-35/Admin.A/2008--Shri Ramesh Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 10.10.2022 to 21.10.2022 with permission to prefix 08.10.2022 & 09.10.2022 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 22.10.2022 to 26.10.2022 as Diwali holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection),

THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

November 03, 2022

No. 338/UHC/Admin.A/2022--

THE UTTARAKHAND HIGH COURT ELECTRONIC TRUE COPY RULES, 2022

In exercise of the powers conferred under Articles 225 and 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand hereby makes, with the approval of the Governor of the State of Uttarakhand, the following Rules for obtaining online certified copy of judgments and orders of the High Court of Uttarakhand as well as the courts subordinate thereto:

1. Short Title, Applicability and Commencement:

1.1 These Rules shall be called the Uttarakhand High Court Electronic True Copy Rules, 2022.

1.2 These Rules shall come into force with immediate effect.

1.3 These rules shall apply for on-line certified true copy of the Judgments and Orders, passed in any proceeding, whether pending or decided, in the High Court of Uttarakhand, Nainital and all the District Courts subordinate to it.

1.4 These Rules shall amend to the extent of conflict, and consolidate the existing Rules and Practice Directions, including those prescribed in (1) the Allahabad High Court Rules 1952 (Rules of Court 1952), and other Rules governing the Procedure of the High Court, (2) General Rules (Civil) 1957, and the corresponding Circulars/Orders of the High Court of Uttarakhand, and, (3) General Rules (Criminal) 1977, and the corresponding Circulars/Orders of the High Court of Uttarakhand.

2. Definitions:

2.1 **"BAR Code"** means a small image of lines (bars) and spaces used for representing data in a visual, machine-readable form.

2.2 **"Court"** shall mean either the High Court or a District Court.

2.3 **"District Court"** means a Court subordinate to the High Court of Uttarakhand.

2.4 **"Electronic True Copy"** or **"eTrue copy"** means a copy of any Judgment or Order of the Court issued under these Rules.

2.5 **"High Court"** means the High Court of Uttarakhand, Nainital.

2.6 **"QR Code"** means Quick Response Code.

3. Any person can apply for eTrue copy:

3.1 An eTrue Copy can be obtained by any person.

4. Steps in generating an eTrue copy:

4.1 An eTrue Copy of a Judgment or Order of the Court can be obtained from link to the eTrue Copy module available on the official website or the official smartphone app of the High Court, or the District Court, as the case may be.

4.2 A person desirous of obtaining an eTrue Copy of a Judgment or Order shall provide following details on the eTrue Copy module:

a. Name
b. Mobile Number
c. E-mail, if any
d. Details of the Applicant.

4.3 An eTrue copy of the particular order/judgment may also be shared on the e-mail, if it is provided by the applicant.

5. Contents of the eTrue copy:

5.1 Every eTrue copy generated through the process as mentioned in Rule 4 shall consist of a memo page along with the copy of judgment/order.

5.2 The memo page shall consist of a 20 digit Bar Code, a Special Code below the 20 digit Bar Code, QR Code and a Seal of the "Court" with date of issue for the purpose of future authentication from National Judicial Data Grid Database.

5.3 Every page of the judgment/order generated as eTrue copy shall contain a QR Code by means of which the contents and authenticity of the judgment/order can be verified from the National Judicial Data Grid (NJDG) portal.

5.4 The memo page and each page of eTrue copy shall bear the following statement:

"True copy of the Judgment/Order. It is issued under the Uttarakhand High Court Electronic True Copy Rules, 2022 to ....."

6. Legal effect of eTrue copy:

6.1 An eTrue Copy shall be deemed to be a certified copy for all purposes including judicial work, unless the context otherwise requires.

By Order of the Court,
Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA,
Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 339/XIV/a-47/Admin.A/2020--Ms. Akmal, Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned maternity leave of 180 days w.e.f. 02.05.2022 to 28.10.2022.

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 340/XIV-a-41/Admin.A/2013--Shri Manoj Garbyal, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 17.10.2022 to 20.10.2022.

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 341/XIV-a/59/Admin.A/2012--Ms. Payal Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 10.10.2022 to 19.10.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 342/UHC/Admin.A/2022--In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Uttarakhand has been pleased to make following amendments in Rules of the Court, 1952 to recognize Communication received through FASTER System as per directions of Hon'ble Supreme Court of India, in Suo Moto Writ Petition (C) No.4/2021, IN RE: DELAY IN RELEASE OF CONVICTS AFTER GRANT OF BAIL:-

"Amendments in Rules of the Court, 1952"

I. Sub-rule-(3) is inserted in Rule-43 of Chapter XVIII -

(3) e-Authenticated copies of the Interim Orders, Stay Orders, Bail Orders and Record of Proceedings of the Supreme Court of India and High Court of Uttarakhand, communicated to the duty holders through the FASTER (Fast and Secure Transmission of Electronic Records) System via secured email domain i.e.,xxxx@jcn.nic.in, shall be recognized for due compliance and execution by all the duty holders.

II. Rule- 44A is inserted after Rule-44 of Chapter XVIII -

44A- e-Authenticated copies of Interim Orders, Stay Orders, Bail Orders and Record of Proceedings received through FASTER System-

(1) District Judge shall be responsible to receive, acknowledge the receipt and to send compliance report, of the orders of the Hon'ble Supreme Court and the High Court of Uttarakhand, sent through the FASTER system via secured email domain i.e.,xxxx@jcn.nic.in.

(2) The District Judge, on being communicated of an e-Authenticated copy of Interim Order, Stay Order, Bail Order and Record of Proceedings through the FASTER System, shall, also forward such e-Authenticated copy to the concerned Court for due compliance/execution without delay.

These amendments shall come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

November 05, 2022

No. 343/UHC/Admin.A/2022--In exercise of powers conferred by Article 227 (2) of the Constitution of India, the High Court of Uttarakhand, Nainital, with the approval of the Governor of Uttarakhand, is pleased to make the following amendments in General Rules (Criminal), 1977 and General Rules (Civil 1957 (applicable to Uttarakhand under U.P. Reorganization Act, 2000).

"Amendment in General Rules (Criminal), 1977"

I. Rule 99-A is inserted after Rule-99 :

99-A: Duty of District Judge and Trial Court on receiving e-Authenticated copy through the FASTER SYSTEM

(1) e-Authenticated copies of Interim Orders, Stay Orders, Bail Orders and Record of Proceedings of the Supreme Court of India, and the High Court of Uttarakhand, communicated to the duty holders through the FASTER (Fast And Secure Transmission of Electronic Records) System via the secured e-mail domain i.e. xxxx@jcn.nic.in , shall be recognized for due compliance and execution, without delay.

(2) As soon as an e-Authenticated copy of an Interim Order , Stay Order, Bail Order or Record of Proceedings of the Supreme Court of India, or the High Court of Uttarakhand is communicated to the District Judge through the FASTER SYSTEM via

secured e-mail domain, i.e. xxxx@jcn.nic.in, the latter shall be responsible to receive acknowledge the receipt and to send compliance report of such order or Record of Proceeding to the Hon'ble Supreme Court or the High Court of Uttarakhand, as the case may be.

(3) The District Judge, where such order or Record of Proceeding, relates to any other Court in the District, other than her/his own Court, shall, also forward such e-Authenticated copy received through the FASTER SYSTEM to such other Court.

II. Amendment in Rule 102

Present Rule 102 is renumbered as 102 (1) and a new Sub-rule (2) is inserted as follows:

(2) The communication of e-Authenticated copies of Interim Order, Stay Order, Bail Order or Record of Proceedings, through the FASTER (Fast and Secure Transmission of Electronic Records) System shall be recognized immediately for due compliance and execution by all the duty holders, without delay.

"Amendment in General Rules (Civil), 1957"

I. Rule 100-A is inserted after Rule 100 as follows:

100A: Duty of District Judge and Trial Court on receiving e-Authenticated copy through the FASTER SYSTEM

(1) e-Authenticated copies of Interim Orders, Stay Orders, and Record of Proceedings of the Supreme Court of India, and the High Court of Uttarakhand, communicated to the duty holders through the FASTER (Fast And Secure Transmission of Electronic Records) System via the secured e-mail domain i.e. xxxx@jcn.nic.in, shall be recognized for due compliance and execution, without delay.

(2) As soon as an e-Authenticated copy of an Interim Order, Stay Order, or Record of Proceedings of the Supreme Court of India, or the High Court of Uttarakhand is communicated to the District Judge through the FASTER SYSTEM via secured e-mail domain, i.e. xxxx@jcn.nic.in, the latter shall be responsible to receive, acknowledge the receipt and to send compliance report of such order or Record of Proceeding to the Hon'ble Supreme Court or the High Court of Uttarakhand, as the case may be.

(3) The District Judge, where such order or Record of Proceeding, relates to any other Court in the District, other than her/his own Court, shall, also forward such e-Authenticated copy received through the FASTER SYSTEM, to such other Court for compliance/execution.

These amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
VIVEK BHARTI SHARMA,
Registrar General.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

29 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2652/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA1290 (HGV) मॉडल 2010 चैचिस MAT37314591P31982 इंजन न0 697TC56PZ121696 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री केशव दत्त पन्त पुत्र श्री प्रेम बल्लम पन्त निवासी–पिथौरागढ़ रोड, ककराली गेट आमबाग, टनकपुर, जिला–चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या UK03CA1290 (HGV) मॉडल 2010 चैचिस MAT37314591P31982 इंजन न0 697TC56PZ121696 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2653/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या URN-9021 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस VPJ7917E इंजन न0 O9O33SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विनोद शारदा पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार शारदा निवासी–गणेश ऑटोमोबाइल, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या URN-9021 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस VPJ7917E इंजन न0 O9O33SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2654/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UGP 4837 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 76VFJ11394 इंजन न0 B15301SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री नरेन्द्र कृष्ण शारदा पुत्र श्री सुरेन्द्र कृष्ण शारदा निवासी–सिमेण्ट रोड, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या UGP 4837 (HGV) मॉडल 1990 चैचिस 76VFJ11394 इंजन न0 B15301SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2657/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA1543 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145ARZ100989 इंजन न0 697TC56ARZ100544 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी–ग्राम कुटरी, चकरपुर, खटीमा, उधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29.09.2022 को वाहन संख्या UK03CA1543 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145ARZ100989 इंजन न0 697TC56ARZ100544 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2663/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA104839 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 373135GTZ733887 इंजन न0 697TC56FTZ129772 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री देवेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री फतेह सिंह रावत निवासी–विष्णपुरी कालोनी, पोस्ट–टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UA104839 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस 373135GTZ733887 इंजन न0 697TC56FTZ129772 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2664/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA04E1740 (MAXI CAB) मॉडल 2007 चैचिस MA1MB2GFK73B40593 इंजन न0 GF74A55900 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मो0 मोहसिन पुत्र स्व0 सुलेमान निवासी–मनिहारगोठ, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UA04E1740 (MAXI CAB) मॉडल 2007 चैचिस MA1MB2GFK73B40593 इंजन न0 GF74A55900 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2665/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UK03CA1456 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145JSZ132575 इंजन न0 697TC56JSZ142698 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री बंशीधर जोशी निवासी–मकान संख्या 23(5) वार्ड नम्बर 03 हॉस्पिटल रोड शारदा चुंगी टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 23/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UK03CA1456 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 373145JSZ132575 इंजन न0 697TC56JSZ142698 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2667/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UTF 7848 (HGV) मॉडल 1997 चैचिस VPJ1923C इंजन न0 1011341138 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री विकास सिंह पुत्र श्री केशव सिंह निवासी–नायकगोठ टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UTF 7848 (HGV) मॉडल 1997 चैचिस VPJ1923C इंजन न0 1011341138 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2668/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UP291253 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 46337 इंजन न0 B52705SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री जमुना प्रसाद निवासी–श्रीपुर विचवा, खटीमा जिला उधम सिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UP291253 (HGV) मॉडल 2000 चैचिस 46337 इंजन न0 B52705SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांकः–2669/पंजीयन निरस्त/2022–23–वाहन संख्या UA034669 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस VFJ35236P इंजन न0 B41177SVF इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन श्री सुन्दर सिंह कुल्याल पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह कुल्याल निवासी–ग्राम–दुधौरी, पोस्ट–अमोड़ी जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/09/2022 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यो के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.09.2022 को वाहन संख्या UA034669 (HGV) मॉडल 2006 चैचिस VFJ35236P इंजन न0 B41177SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/682–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2022 ई0 (अग्रहायण 05, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम सुबोध कुमार से बदलकर सुबोध कुमार गुप्ता कर लिया है, भविष्य में मुझे सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र श्री गंगा राम गुप्ता के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

सुबोध कुमार गुप्ता पुत्र श्री
गंगाराम गुप्ता निवासी 161
ए, टाईप–3, सैक्टर–3,
रानीपुर रेंज हरिद्वार।

सूचना

IT is to inform to the general public that I Shabistan Parveen Siddiqui in CBSE Board High School Marksheet and Certificate my name Shabistan Praveen Siddiqui in place of Shabistan Parveen Siddiqui which is incorrect. My correct name is Shabistan Parveen Siddiqui, D/o Mohd Ikram Siddiqui Add- H.No. 95, Van Vihar Colony Mehunwala mafi Dehradun

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Shabistan Parveen Siddiqui
D/o Mohd Ikram Siddiqui
Add- H.No. 95, Van Vihar Colony
Mehunwala mafi Dehradun

सूचना

IT is to inform to the general public that I Saba Parveen Siddiqui, in CBSE Board High School Marksheet and Certificate my name Saba Praveen in place of Saba Parveen Siddiqui which is incorrect. My correct name is Saba Parveen Siddiqui, D/o Mohd Ikram Siddiqui Add- H.No. 95, Van Vihar Colony Mehunwala mafi Dehradun

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Saba Parveen Siddiqui,
D/o Mohd Ikram Siddiqui
Add- H.No. 95, Van Vihar Colony
Mehunwala mafi Dehradun

कार्यालय नगर पालिका परिषद लोहाघाट, चम्पावत

सार्वजनिक सूचना

12 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 628 / यूजर चार्ज उपविधि / 2017–18–नगर पालिका परिषद लोहाघाट सीमान्तर्गत उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा–2 खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली–2011 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व यूजर चार्ज उपविधि, 2016 बनायी जाती है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ -

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् लोहाघाट जनपद चम्पावत की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व यूजर चार्ज उपविधि 2017 कहलायेगी ।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् लोहाघाट जनपद चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखंड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

परिभाषायें :-

i) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टो को छोड़कर किन्तु उपचरित जैव चिकित्सीय उच्छिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय /अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।

ii) उपविधि से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है ।

iii) नगर पालिका से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद लोहाघाट, चम्पावत से है ।

iv) अधिशासी अधिकारी से अभिप्रेत उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पालिका केंद्रीयत सेवा नियमावली 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है ।

v) सफाई निरीक्षक से अभिप्रेत नगर पालिका परिषद् लोहाघाट, चम्पावत में शासन द्वारा तैनात सफाई कर्मचारी निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी /कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन नगर पालिका परिषद बोर्ड या जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है ।

vi) निरीक्षक अधिकारी का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी /कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षक के लिए अधिकृत किया गया है ।

vii) 'नियम' से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना स० 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 बनाये गये से है ।

viii) 'अधिनियम से अभिप्रेत उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1996 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है ।

ix) जीव नाशित /जैव निम्नकारणीय /जैविक अपशिष्ट (blodegrabable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है. सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा ओ खाना, सब्जी एवं फल के छिलके, फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि ।

x) जीव अनाशित अपशिष्ट (non -blodegrabable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़े-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं है.और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है ।

xi) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (recycleble waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है. जैसे- प्लास्टिक, पालीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर) कागज,धातु,रबड़ आदि ।

xii) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (blomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवो व पशुओ के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बंधित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो ।

xiii) 'संग्रहण' (collection) से अपशिष्ट के उत्पति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओ तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

xiv) 'कचरा खाद बनाने'(composting) एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैविक निम्नकरण अन्तबर्लित है ।

xv) 'ढहान तथा निर्माण सम्बन्ध अपशिष्ट (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निनिर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत ओर ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरुप निर्माण सामग्री रोडियो और मलबे से अद्भूत अपशिष्ट से है ।

xvi) 'व्ययन' (disposal) से भूजल, सतही जल का तथा परिवेषी वायु गुणता को संदुषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है ।

xvii) 'भूमिकरण (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ के साथ उड़ने वाली धूल हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नशी जीव /कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिज़ाइन की गई, सुबिध में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है ।

xviii) निक्षालितक (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसमे इसमें से धुलित अथवा निलंबित पदार्थ का निष्कर्ष किया है ।

xix) नगर पालिका प्राधिकरण (municipal authority) में म्युनिषपल कारपोरशन म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनो के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहा नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सोपा जाता है ।

xx) स्थानीय प्राधिकरण (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रबर्त्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है ।

xxi) नगरीय ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंटमय (hazardous) अपशिष्टो को छोड़कर किन्तु उपचरित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रो में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।

xxii) सुविधा के परिचालक (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, प्रथकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने- अपने क्षेत्रो में नगरीय ठोस अपशिष्टो के प्रबंधन एवं हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है. प्रसंस्करण से बह प्रक्रिया अभिप्रेत है. जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुन: चकित उत्पादों से परिवर्तन किया जाता है ।

xxiii) पुनर्चक्र (recycling) से बहकिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है. जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नही भी हो सकता है ।

xxiv) प्रथक्करण (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टो को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुन: चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टो को वर्गो को अलग-अलग करना अभिप्रेत है ।

xxv) भण्डारण (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टो के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बंद किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहको को आकर्षित करने, आवारा पशुओ तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ।

xxvi) परिवहन (transporation) से विशेष रूप से डिजाईन की गयी परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दुसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहको की पहुँच से रोका जा सके ।

4. कोई भी व्यक्ति /स्थापन (estsblishment) नगरीय ठोस अपशिष्टो को नाली सड़क, गली,फुटपाथ किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नही किया गया है.न डालेगा और डलवायेगा ।

5. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट था दुसरे में पुन: चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा ।

6. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पाद व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिंदु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुन: चक्रणीय सप्ताह में एक दिन नगर पालिका के द्वारा निर्धारित समय के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी /सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा . (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थोले में रखकर नही डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूचि में निर्धारित दरें जो समय-समय पर संशोधित की जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति /स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे ।

7. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टो को उठाने के लिए नगर पालिका से संपर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टो को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) देना होगा ।

8. नगरीय ठोस अपशिष्ट के उत्पादन के व्यक्ति /स्थापन द्वारा जहां तक संभव हो बागवानी व सभी पेड़-पोधों के कूडा परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना होगा, जहां ऐसा करना संभव न हो तो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टो को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा. किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टो को जलाया नही जायेगा ।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazaradous) अपशिष्टो के अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा ।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन व्यक्ति /स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टो का प्रबंधन जीव -चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्टो को नगरीय ठोस अपशिष्टो में नही मिलायेगा ।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन करने वाला /हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को नहीं जलायेगा और न ही जलवायेगा ।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टो के उत्पादन, प्रथक्करण संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्यनन से सम्बंधित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा ।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है टो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं हैं को अपशिष्ट उत्पादन के द्वारा अथवा नगर पंचायत /सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और इसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा. जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादन को दी जायेगी. वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पंचायत / सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी ।
14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु० 5.00 (पांच) के पूर्णांक में की जायेगी ।
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस /सेवा शुल्क में छुट का प्राविधान नहीं होगा ।
16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक - अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेकता है, तो प्रथम बार रु० 200.00 दूसरी बार रु० 500.00 एवं तीसरी बार रु० 1000.00 अर्थदंड (penalty) देना होगा।
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घंटे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नही हटाता है तो प्रथम बार रु० 500.00 दूसरी बार रु० 1000.00 एवं तीसरी बार रु० 1500.00 अर्थदंड (penalty) देना होगा ।
18. यह कि नगरीय ठोस प्रबंधन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (user charges) की दरे निम्वत हैं ।

अनुसूचित -1 सेवा शुल्क (user charges) की दरें ।

क्रम सं०	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी /अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्ज) की प्रस्तावित राशि रु० में.
1	आवासीय भवन	20/- प्रतिमाह
2	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली-50/प्रतिमाह स्थाई दुकान 100/प्रतिमाह
3	मांस एवं मछली विक्रेता	100 /प्रतिमाह
4	रेस्ट्रोरेन्ट	100 /प्रतिमाह
5	होटल/ लाजिंग/ गेस्ट हॉउस	20 कमरे तक - 100 / प्रतिमाह 20 कमरे से ऊपर - 200/ प्रतिमाह
6	सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय /स्कूल /सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाऐ	50/प्रतिमाह
7	समस्त बैंक	50/प्रतिमाह
8	हास्पिटल /नर्सिंग होम (बायोमेडिकल बेस्ट को छोड़कर)	150/ प्रतिमाह
9	क्लीनिक (मेडिकल)/पैथोलाजी	100/प्रतिमाह
10	स्थाई दुकाने	50/ प्रतिमाह
11	अस्थाई दुकाने (फाड़ एवं ठेला)	20 /प्रतिमाह
12	वर्कशाप एवं कबाड़ी	50/प्रतिमाह
13	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (रेता, सरिया, रोड़ा,ईट पत्थर आदि)	100/प्रतिदिन /प्रतिवाहन
14	वाईन शॉप देसी	200/प्रतिमाह
15	वाईन शॉप अंग्रेजी	250/प्रतिमाह
16	बारबर, दर्जा	100/प्रतिमाह
17	ड्राइक्लिन करने वाली दुकान	100/प्रतिमाह

18	गन्ने का रस /जूस विक्रेता	50/प्रतिमाह
19	सार्वजनिक /निजी स्थलों पर सर्कस /प्रदर्शनी /विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमे अपशिष्ट उत्पन्न होता है.	200 /प्रतिमाह

उपरोक्त विवरण के आलावा धार्मिक कार्य जैसे- भंडारा, जागरण, शोभा यात्रा पर उपरोक्त दरे लागु नहीं होगी.

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रु० 2500.00 (दो हजार पांच सौ रु०) तक हो सकेगा और जब ऐसे कृत निरंतर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध की दिनाक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमे अपराधों का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रु० 100.00 तक हो सकेगा. यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोहाघाट जनपद चम्पावत में निहित होगा ।

मौ0 इस्लाम,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्
लोहाघाट चम्पावत

गोविन्द वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्
लोहाघाट चम्पावत

कार्यालय नगर पालिका परिषद् लोहाघाट (चम्पावत)

"प्रोटोकाल फॉर सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम–2021

28 अक्टूबर, 2022 ई0

पत्रांक 994/उपनियम एस0एम0सी0/2022–23–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन सं0–१०/२०१५ दिनाक १०-१२-२०१५ के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका अधिनियम १९१६ (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा २७६ में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा २९८ के खण्ड झ (घ) ञ (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद लोहाघाट (चम्पावत) की बोर्ड बैठक दिनाक १२-०८-२०२१ को पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम–, २०२१ बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु प्रकाशित की जा रही है, जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहे है.

अत: लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व् विनियम करने हेतु प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट उपनियम - २०२१ में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, फर्म, उद्योग को कोई आपत्ति /सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से ३० दिन के भीतर अपनी लिखित अप्पत्ति कार्यालय नगर पालिका परिषद लोहाघाट में प्रस्तुत कर सकता है. समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली अप्पत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नही किया जा सकेगा. जो निम्नवत है :-

परिभाषा:-

1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :- यह उपनियम नगर पालिका परिषद लोहाघाट "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" उपनियम - 2021 नियमावली कहलाएगी, जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखंड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी . यह उपनियम नगर पालिका परिषद लोहाघाट की सीमा के भीतर लागु होगे .

2- नगर पालिका - नगर पालिका का आशय नगर पालिका परिषद लोहाघाट के परिसीमन 2018 के उपरांत ०७ वार्डो की सीमा से है .

3- अधिशासी अधिकारी - अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पालिका परिषद लोहाघाट के कार्यपालक अधिकारी से है .

4- अध्यक्ष - अध्यक्ष का आशय नगर पालिका परिषद लोहाघाट के निर्वाचित बोर्ड के अध्यक्ष से है. बोर्ड के कार्यपालक समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के स्थान पर अध्यक्ष / उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से है .

5- सेप्टेज मैनेजमेंट सेल - सेप्टेज मैनेजमेंट सेल का आशय नगर पालिका परिषद लोहाघाट में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित अधिकारियो के समूह की एक गठित इकाई से है, जो कि सेप्टेज मैनेजमेंट सेल कहलायेगा . जिसके अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी लोहाघाट होंगें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोहाघाट सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी अभियंता जल निगम, चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा नामित प्रतिनिधि /अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्पावत अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी एवं अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद लोहाघाट नामित सदस्य होगें.

1- प्रसंग :- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिज़ाइन से सम्बंधित है. स्थानीय संस्थानो द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल सन्चालन हेतु कुशल प्रबंधन कि आवश्यकता है. यह महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध के मामलों में सेप्टेज तकनिकी का अनुपालन किया जाता है. ताकि पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज / फिकल स्लज सेप्टिक टैंक गड्ढे शोचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत को प्रदूषित न करे.

1.1 राष्ट्रीय फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति :-

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है. राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति वर्ष २०१७ में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ तंदुरुस्त और जीवित बने रहे एवं अच्छी सफाई भी बनी रहे तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता से साथ ही फिकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमे विशेषकर गरीबो पर ध्यान केन्द्रित किया जाये . शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ्य वातावरण प्रसन्न प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओ का समस्त क्षेत्र में हो सके जैसे कि सुरक्षित और स्थाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविकता प्रत्येक आय परिवार के लिए गलियों में नगर में और शहरो में बनी रह सकें .

1.2 - <u>उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकाल :-</u>

माननीय एन०जी०टी० के आदेश सं० -10 /2005 दिनाक 10-12-2015 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये है. जो कि उत्तराखंड में सेप्टेज प्रबंध के सम्बन्ध में है. "उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकॉल तैयार किया जायेगा और राज्य सरकार द्वारा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा, यह आशान्वित करने के लिए कि सीवरेज कि निकासी जो सामान्य सैप्टिक टैंक में या बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबंध किया जाये . उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुई है वह नि:शुल्क किसानों को वितरित की जाये ओर इस उद्देश्य हेतु राज्य प्रशासन एक भागीदारी सम्बंधित निकाय नगर पालिका परिषद लोहाघाट की होगी. उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम १९७५/नगर पालिका अधिनियम १९१६ शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखंड जल संस्थान के समन्वय से होगा उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेप्टिक प्रबंध के तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा सूचित किया गया है. ताकि इसका अनुपालन शहरो /नगरो में हो सके. <u>आदेश सं० ५९७/(iv (२)-श० वि० -२०१७-५०(सा०)/१६ दिनाक २२-०५-२०१७</u> राज्य का सैप्टिक प्रबंधन प्रोटोकॉल राज्य और शहरो का यह दिग्दर्शन कराता है ताकि वैज्ञानिक सैप्टिक प्रबंधन बना रहे जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, उपचार, सैप्टिज / फीकल स्लज का निस्तारण ओर पुन: प्रयोग हो सके. इस प्रकार स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकाल के है कि प्रभावी क्रियान्वयन के लिये ओर आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु में "सेप्टेज मैनेजमेंट सैल" का गठन का अयोजन किया गया जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद लोहाघाट, पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे.

<u>2- नगरीय उपकानून / "फिकल स्लज एवं सेप्टेज का नियमितीकरण :-</u> सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल के अनुसार जो शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार के शा० सं० -५९७/(iv) (२) - श० वि० -२०१७-५०(सा०)/१६ दिनाक २२-०५-२०१७ एवं समस्त लागू होने वाले नियम या कानून या समय -समय पर शासन द्वारा संशोधित नियम या नियमावली नगर पालिका लोहाघाट नियमित ढांचे को रिक्त करने, एकत्र करने, परिवहन और सेप्टेज और फिकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है. फिकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन उपनियम के अंतर्गत जो कि यहा स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद लोहाघाट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है.

3- <u>उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र:- इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य निम्नवत है:-</u>

1- निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शोचालय के गढ्ढे परिवहन इलाज ओर सुरक्षित रखरखाव जो कि स्लेज ओर सेप्टेज से सम्बंधित है.

2- क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देशित करना जो कि सैप्टिक टैंक ओर शोचालय के गढ्ढे से ओर फिकल स्लज एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बंधित है ताकि वे इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित कर सके.

3- उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन.

4- लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के उचित प्रबंध हेतु है.

5- निजी और गैरसरकारी क्षेत्र फिकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में सहभागी कि सुविधा देना .

<u>4- एकत्रीकरण परिवहन इलाज और सेप्टिज के खुर्द -बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना .</u>

<u>4-(1) सैप्टिक टैंक ओर सेप्टेज / फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना :-</u>

०सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है , उसको हटाना और एक बार उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच गया है या बार -बार के आखिर में जो डिजायन है जो कोई भी पहले आये.

००जबकि स्लज को सुखाना ओर सेप्टिज टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना /मैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग (जो नगर पालिका लोहाघाट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबंधन द्वारा सैप्टिक टैंक का खाली करने हेतु उपयोग किया गया चाहिये.

०००सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है को सैप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये.

<u>4(2) सेप्टेज /फिकल स्लज का परिवहन :-</u>

1- फिकल स्लज और सैप्टज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर सेप्टेज मैनेजमेंट से (एस०एम०सी०) द्वारा स्वीकृत किये जायेगे.

(2) फिकल स्लज और सेप्टज फिकल निर्माता यह आश्वासन देंगे कि :-

(अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल स्लज और सेप्टिज हेतु जो छिद्र निरोधी होगा ओर फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु तालाबंद रहेगा .ओर लागू किये जाने योग्य मानदण्ड का अनुपालन करेंगे.

(ब) कोई भी टैंक ओर उपकरण जो कि फिकल स्लज ओर सैप्टज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु प्रयुक्त नही करेगा .

4(3) सैप्टज का निष्पादन ओर इलाज -राज्य सैप्टज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पालिका परिषद् लोहाघाट की अपनी में ईकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सैप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जायेगा .

5- सुरक्षा उपाय :-

(1) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहिये.

(2) फिकल स्लज और सैप्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करे-

(अ) समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेप्टीगेयर और यत्र जिसके अन्तर्गत कंधे की लम्बाई तक पूरा कोटेड लियोक्रिन, लोयस, रबर बूट, चेहरे का मास्क, आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसी कि मेनुअर स्कैबेजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है.

(ब) समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये.

(स) समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर ओर स्वास्थ्यवर्धक उपकरण के प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिये.

(द) प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप ओर अग्निशमन यंत्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते है, इससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है.

(य) सैप्टिक टैंक पिट लैट्रिन में काम चल रहा है. उस समय धुम्रपान पूर्णतः वर्जित है .

(र) मल निस्तारण कार्यकर्ता सैप्टिक टैंक में ओर शोचालय गड्ढे में प्रवेश नही करेंगे . ओर आच्छादित टैंक को आना जाना रखेंगे जो कि इस कार्य का शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है.

(ल) बच्चो को टैंक के ढक्कन अथवा पिट से दूर रखा जाये ताकि वे टैंक के स्क्रू और लाले से सुरक्षित रहे, कर्मचारी सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रक्रिया चल रही हो जो कि ढक्कन पर अधिक भार हेतु है . या मेन हाल का आच्छादन टूटने से बचा रहे .

6- सैप्टेज खाली करना ओर वाहन के पंजीकरण का परिवहन :-

6.1 नगर पालिका परिषद लोहाघाट परिवहन वाहन को दर्ज करेगा ओर इसका लाईसेन्स निर्गत करेगा निजी व्यवसायियों के लिये जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व यह आशान्वित करेगा यह वाहन उचित उपकरण ओर उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है तथा मानकों के अनुरूप है सेप्टेज ट्रांसपोर्टर को अपने वाहन का पंजीकरण कराने हेतु नगर पालिका परिषद लोहाघाट के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ वाहन परमिट प्रपत्र व परमिट प्रपत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न करना होगा .

6.2 नगर पालिका परिषद लोहाघाट सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रांसपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा, जोकि एकत्रीकरण परिवहन एवं सेप्टेज के प्रयोजन हेतु अनुमन्य है. जब तक कि इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस०एम०सी० के साथ इन प्रोटोकोलों में पंजीकृत नहीं है.

सरणी-1 पंजीकरण व्यय

अ- प्रारम्भिक पंजीकरण - रु० 3,000.00 प्रतिवाहन /गाड़ी

ब- वार्षिक नवीनीकरण - रु० 2,000.00 प्रतिवाहन/ गाड़ी

स- नाम परिवर्तन/स्वामित्व का परिवर्तन - रु० 1,500.00 प्रतिवाहन /गाड़ी

द- अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार - रु० 1,000.00 प्रतिवाहन/गाड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढेगा)

7- उपभोक्ता लागत और इसका संचय :-

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शोचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पालिका परिषद लोहाघाट में फिकल स्लज और सेप्टेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है. जो कि सेप्टिक टैंक के भरने शोचालय के गड्ढे, परिवहन और फिकल स्लज एवं सेप्टेज के उपाय हेतु है.

7.2 नगर पालिका परिषद लोहाघाट अपनी लागत से संशोधित करेगा जो कि समय-समय इससे सम्बंधित है. ऐसी उपयोगिता लागत परिवहन फिकल स्लज व सेप्टेज के निष्कासन हेतु है.

7.3 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्वत है.

(अ) उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पालिका परिषद लोहाघाट द्वारा वसूल किया जायेगा या नगर पालिका परिषद लोहाघाट के कोष में जमा किये जायेगा, जोकि सम्बंधित भवन/ सैप्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगा.

(ब)- उपभोक्ता लागत को मासिक सिचाई लागत या संपत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा, करना होगा .

सारणी -2 उपभोक्ता लागत

	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	किराये की अधिकतम अवधि जो सेप्टिक टैंक एवं शोचालय गडढे हेतु निर्धारित है.	मासिक दण्ड 1-5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा .
क्रम सं०	भवन का वर्ग	प्रति यात्रा लागत	कम से कम 2-3 वर्ष में एक -बार जब 2 टैंक होते है 2/3 भाग जो भी पहले भरा जाये कम से कम	250.00
1-	टीनशेड वाला मकान	2,500.00		300.00
2-	अन्य समस्त मकान	3,000.00		300.00
3-	दुकान	3,000.00		300.00

4-	सरकारी /निजि कार्यालय	3,000.00	प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार .	300.00
5-	बैंक	3,000.00		300.00
6-	सामुदायिक शौचालय/ मूत्रालय	4,000.00		400.00
7-	रेस्टोरेंट	3000.00		300.00
8-	होटल/ गेस्ट हॉउस (1-10 कमरे)	5,000.00		500.00
9-	होटल/ गेस्ट हॉउस (11 कमरे से अधिक)	7,000.00		700.00
10-	धर्मशाला (1-25 कमरे)	4,000.00		400.00
11-	सरकारी स्कूल /कालेज	2,500.00		250.00
12-	निजी स्कूल /कालेज	3,000.00		300.00
13-	20 व्हीलर व्हीकल शोरुम	3,000.00		300.00
14-	विवाह हाल / बैंकट हाल	5,000.00		500.00
15-	बार	5,000.00		500.00
16-	सरकारी हास्पिटल	3,000.00		300.00
17-	नर्सिंग होम/ क्लीनिक	3,000.00		300.00
18-	पैथोलोजी लैब	2,500.00		250.00
19-	निजी अस्पताल 20 बैड तक	5,000.00		500.00
20-	चावल मिल /अन्य मिल	5,000.00		500.00

नोट- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृत नगर पालिका परिषद् लोहाघाट द्वारा निर्गत किये जायेंगे .

2- मल निस्तारण समयावधि में होगा, या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है .
(जैसा कि नगर पालिका परिषद द्वारा स्वीकृत है.)
3- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढाई जायेगी .

8- मैकेनिजम का निरिक्षण , क्रियान्वयन और मजबूती देना :-

8.1 कोई भी व्यक्ति जो की एस०एम०सी० (सैप्टिक मैनेजमेंट सेल) / नगर पालिका परिषद लोहाघाट द्वारा अधिकृत है उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शोचालय, गडढे या सामुदायिक/ संस्थागत आदि का निरिक्षण करेगा.

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुर्माना से प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद कोष में जमा होगी .

8.3 नगर पालिका परिषद लोहाघाट क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे .

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजि व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी . जो कि सैप्टिक टैंक, बयोडाईजस्टर मल निस्तारण सैप्टिक टैंक का एकत्रीकरण मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सैप्तिज का ईलाज .

9- दण्ड :-

दण्ड का ढांचा उपकरण रहित / अकार्यशील जी०पी०एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते फिकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टज ईलाज प्लांट का / आर०एन०एल० का रजिस्ट्रेशन ने करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों को अनुपालन न करना.

सारणी - 3 दण्ड

क्र०स०	शिकायत का प्रकार	दण्ड या कार्यवाही प्रपत्र दृष्टया पकड़ी गई वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में दोबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दण्ड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे बार पकड़ी गयी विशेष रूप से मूल निस्तारण वाहन
1-	लोगों की सोचनीय सेवा की शिकायत	3,000.00	8,000.00	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण .
2-	सेप्टेज / फिकल स्लज जैसा कि विशेष कार्य क्षेत्र में	1000.00	6 माह के लिये परमिट को स्थगित करना .	तीन महीने के लिये परमिट सेवा की शिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण.
3-	पंजीकरण न करना /पंजीकरण का नवीनीकरण न करना .	2,000.00	4,000.00	आर० टी० ओ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिये परमिट को स्थगित करना / परमिट का निस्तारण के लिये स्थगित करना .

शास्ति / दण्ड

नगर पालिका परिषद लोहाघाट (चम्पावत) की सीमान्तर्गत "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेंट" के अनुपालन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन स० -10/2015 दिनाक 10-12-2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल

कार सेप्टेज मैनेजमेंट की उपविधि की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रु० 5,000.00 (पांच हजार) का अर्थदंड किया जायेगा उल्लंघन निरंतर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की स्थिति में रु० 5,000.00 (पांच हजार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रु० 100.00 (एक सो) की दर से अतिरिक्त अर्थदंड आरोपित किया जायेगा . अन्यथा सम्बंधित के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा. उस पर होने वाले समस्त व्ययभार हर्जे- खर्चे की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी. विवाद होने की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र जिला चम्पावत होगा .

मौ0 इस्लाम,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद लोहाघाट
जनपद – चम्पावत

गोविन्द वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद लोहाघाट
जनपद – चम्पावत

कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला–हरिद्वार

विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293 / उपविधि / 2022–23–नगर पंचायत इमलीखेड़ा, जिला–हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश की धारा–298(2) लिस्ट (जे0) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए "ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि–2022" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 उपनियम–(1) के अंतर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला है, उनसे आपत्तियां एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक १५ जुलाई २०२२ में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक २०.०८.२०२२ द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(२) के अंतर्गत **उत्तराखण्ड शासकीय गजट** में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि **उत्तराखण्ड शासकीय गजट** में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022

1- **परिभाषाएँ-**

(क) **यह उपविधि** नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद- हरिद्वार के **"ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि-2022"** कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।

(ख) **"निकाय"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(ग) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों अथवा प्रशासक से है।

(घ) **"अधिनियम"**- अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपांतरण आदेश 2002 से है।

(ङ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।

(च) **"ठेकेदार"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो नगर पंचायत इमलीखेडा जिला- हरिद्वार में समस्त निर्माण कार्य, पुनः निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अंतर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति/फर्म हो।

(छ) **"श्रेणी"** का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2- **पंजीकरण की प्रक्रिया-**

नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद हरिद्वार के निर्माण कार्य सड़क/ नाली/ नाला/पुस्ता/अन्य निर्माण एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियाँ होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है-

1- वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत इमलीखेडा जिला- हरिद्वार सीमांतर्गत या जनपद हरिद्वार में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो,का प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।

2- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र।

3- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)।

(क) प्रथम श्रेणी के लिए 15.00 लाख
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए 10.00 लाख
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए 05.00 लाख

4- <u>प्रथम श्रेणी में</u> पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल विभाग, सिचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50.00 लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र देने होगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियंता एवं टी0एण्ड0पी(मिक्सचर मशीन/ वाईबरेटर /जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होगे। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

5- <u>द्वितीय श्रेणी में</u> पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

6- <u>तृतीय श्रेणी में</u> पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम दो वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।

7- प्रत्येक ठेकेदार, आयकर एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं,तथा आयकर एवं जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

8- नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद हरिद्वार में उक्तानुसार ठेकेदारी पंजीकरण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद हरिद्वार में निहित होगा।

3- जमानत-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (एन0एस0सी0)/ किसान विकास पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के पद नाम से बंधक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

(क) प्रथम श्रेणी के लिए 50,000.00
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए 25,000.00
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए 15,000.00

4- पंजीकरण शुल्क-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नकद रूप में नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के कोष में जमा करनी होगी।

(क) प्रथम श्रेणी के लिए 15,000.00
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए 10,000.00
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए 5,000.00

5- पंजीकरण की अवधि-

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन का प्रारूप रू0 500.00 नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारुप में ही मान्य होगा,जो अवर अभियंता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6- नवीनीकरण कि प्रक्रिया-

ठेकेदारों को प्रत्येक 02 वर्ष के बाद में निम्न श्रेणी के अनुसार अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा-

1. नवीनीकरण प्रत्येक 02 वर्ष के बाद में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ही होगा।
2. नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित नवीनीकरण आवेदन पत्र के लागत रू0 250.00 निकाय कोष में जमा कराकर प्राप्त करना होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों का विवरण देना होगा।
3. नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत इमलीखेडा जिला-हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी-

(क) प्रथम श्रेणी के लिए	10,000.00
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए	7,000.00
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

4. अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।
5. नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र-पत्र (जो छः माह की अवधि के अंदर का हो) तथा नवीनतम हैसियत प्रमाण-पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत हो तो उसके लिये शपथ-पत्र देना होगा।

7- **निर्माण के सम्पादन के सीमा-**

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा-

1. **प्रथम श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगे।
2. **द्वितीय श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार रू0 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगे।
3. **द्वितीय श्रेणी** में पंजीकृत ठेकेदार रू0 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होगे।

8- **निविदा प्रपत्र की लागत-**

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा।

	कार्यों की लागत (रुपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये में)
a.	रू0 1,00,000 तक	100.00
b.	रू0 1,00,001 से रू0 2,00,000 तक	200.00
c.	रू0 200,001 से रू0 3,00,000 तक	300.00
d.	रू0 300,001 से रू0 4,00,000 तक	400.00
e.	रू0 400,001 से रू0 5,00,000 तक	500.00
f.	रू0 500,001 से रू0 6,00,000 तक	600.00
g.	रू0 600,001 से रू0 7,00,000 तक	700.00

h. रू0 700,001 से अधिक के कार्यों के निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति 10000.00 पर रू0 10.00 के हिसाब से गणना कर निर्धारित कर किया जायेगा।

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य, जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओ में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किये जायेंगे।

9- **निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार-**

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओ में न्यूनतम निविदाओ को स्वीकृत करने का

अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किंतु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम हैं, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा। बिना कोई कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार में निहित होगा।

10- धरोहर राशि-

उतराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2017 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में जो नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के पदनाम से बंधक हो, देनी होगी।

11- ठेकेदार का भुगतान-

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, जी0एस0टी0 एवं जमानत आदि देय करो की राशि काटने के उपरांत भुगतान किया जायेगा, जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद कार्य संतोषजनक होने पर अवर अभियंता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12- कार्य पूर्ण करने की अवधि-

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण करें, यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता हैं तथा उसकी कार्य अवधि बढाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय प्राप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया जाता हैं तो अवर अभियंता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती हैं, यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अंतिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भांति सम्बंधित ठेकेदार से की जायेगी।

13- पंजीकरण का निरस्तीकरण-

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता हैं अथवा कार्य संतोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है अथवा नगर पंचायत के किसी कार्मिक के साथ अव्यवहार एवं अभद्रता करता है या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टड किया जा सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा।

14- जमानत जब्त करने का अधिकार-

यदि ठेकेदार नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार के उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबंध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पति से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,
प्रशासक,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला–हरिद्वार

विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293 / उपविधि / 2022–23–नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128(1)(I) के तहत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्तिकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार द्वारा "सम्पत्तिकर उपविधि–2022" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक १६ जुलाई २०२२ में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक २०.०८.२०२२ द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(२) के अंतर्गत **उत्तराखंण्ड शासकीय गजट** में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि **उत्तराखण्ड शासकीय गजट** में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"सम्पत्तिकर उपविधि-2022"

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार "सम्पत्तिकर उपविधि-2022" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमा में प्रवृत होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2- परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमा से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत) से है।

(छ) **"वार्षिक मूल्यांकन"** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा-141 के अंतर्गत वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(ज) **"सम्पत्तिकर"** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अंतर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) **"समिति"** का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति से हैं।

(ञ) **"भवन एवं भूमि"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से हैं।

(ट) **"स्वामी"** का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से हैं।

(ठ) **"अध्यासी"** क तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये में रहने वाले व्यक्तियों से हैं।

3- **वार्षिक मूल्यांकन-** नगर पंचायत सीमांतर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा- 141(2) के अंतर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हो या न हो अथवा संस्था/एजेंसी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेंसी ऐसे प्रयोजन के लिये किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है। सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन नव-निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो०नि०वि० के प्रचलित सैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खंड(क) के उपबंधो के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि कि दशा में यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि कि दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से हैं और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि कि अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के प्रयोजन के लिये कलैक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर बोर्ड द्वारा तय किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होगे जैसे निहित किये जाये।

(ग) खंड(क) (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हो, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपरोक्तानुसार से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जिसमें एकरूपता, औचित्य और निकाय का हित प्रतीत हो, का वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी-

i. कक्ष-आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
ii. आच्छादित बरामदा-आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
iii. बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह- आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,
iv. गैराज- आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप,
v. स्नानागार, शौचालय, द्वारमंडप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं माना होगा।

2- उ०प्र० शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

3- सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि क मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत यथास्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4- **भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर-** भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 12.5 प्रतिशत सम्पति/भवन कर लिया जायेगा, परंतु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाऐ जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परंतु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित कि जाती हैं तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होगे।

(ख) अनाथालय, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान कि संस्थाओं कि सम्पतियो और उन्हीं संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो।

(ग) नगर पंचायत की समस्त सम्पतिया।

5- **कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन-** भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पतिकर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-141 के अधीन तैयार कि गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित कि जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय सम्पति/भवन कर का निर्धारण किया जा चुका हैं, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो,वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते है, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बंधित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अंदर आपति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपतियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6- **आपतियों का निस्तारण-** भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा सम्पतिकर निर्धारण पर प्राप्त आपतियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम-1916 कि धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने कि स्थिति में अधिशासी अधिकारी बोर्ड द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 कि धारा-112 के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उपरांत निम्न प्रकार से किया जायेगा।

i. प्राप्त आपतियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपतिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।

ii. आपतियों के निस्तारण कि स्थिति एवं निर्णय सम्बंधित पत्रावली अथवा आपति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

iii. शासनादेश सं० 2054/नौ-9-97-79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपतियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7- **कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा-**

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जायेगी,

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिये सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत सम्पति/ भवनकर मांग एवं वसूली पंजिका में अंतिम रूप से सूची में दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-166 के अंतर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8- सम्पतिकर निर्धारण की औपचारिकताये पूर्ण होने के पश्चात सम्पतिकर कि वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सम्पति/भवन कर की धनराशि भवन स्वामी/अध्यासी को पंचायत कार्यालय अथवा निकाय द्वार वसूली हेतु अधिकृत कार्मिक को जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि सम्पतिकर/भवन

कर की धनराशि 31 मार्च तक जमा नहीं होती है तो बकाया धनराशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि अधिभार सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी०) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

9- सम्पतिकर की वार्षिक मांग के सापेक्ष प्रत्येक वर्ष में 31 अक्टूबर तक सम्पति/भवन कर की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जो बकाया सम्पतिकर के बकायादारो पर लागू नहीं होगी।

10-कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों कि ऐसेसमेंट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता हैं और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जावेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

11-जब तक इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर की जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 143(3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सक्षम न्यायालय उसको रद्द न कर दे।

12-(1) अगर किसी ऐसे भवन य भूमि के स्वामी होने क अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तांतरित किया जावे तो अधिकार हस्तांतरित करने वाला या जिसको हस्तांतरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तांतरित होने की तिथि से तीन माह के अंदर हस्तांतरित होने कि सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो. इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अंदर सूचना देगा।

13- (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तांतरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज(अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

14-**सम्पतिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन और परिवर्तन-**

नगर पालिका अधिनियम-1916 कि धारा-147 के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय सम्पतिकर निर्धारण सूचियों में संशोधन. एवं परिवर्तन करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्र निम्नलिखित रूप में निस्तारित किया जायेगा।

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति व ऐसी सम्पति का नाम जिसकी प्रविष्टि होनी आवश्यक थी या किसी ऐसी सम्पति जो कर निर्धारण सूची में अधिप्रमाणीकृत होने के पश्चात कराधान के लिये दाई हो गई हो प्रविष्टि करके, या

(ख) उसमें किसी सम्पति के स्वामी या अध्यासी के नाम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जिसने अंतरण द्वारा या अन्य प्रकार से सम्पति का स्वामित्व या अध्यासन का उत्तराधिकार प्राप्त किया हो, प्रतिस्थापित करके, या

(ग) किसी सम्पति के जिसका (जिसका मूल्यांकन या कर निर्धारण गलत हो गया हैं या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया गया हैं) मूल्यांकन या कर निर्धारण में वृद्धि करके, या

(घ) किसी सम्पति का जिसका मूल्य भवन में किये गये परिवर्धन या परिवर्तन के कारण बढ गया हो, पुन: मूल्यांकन या पुन: कर निर्धारण करके, या

(ङ) जहाँ वार्षिक मूल्य का, जिस पर कोई कर उद्ग्रहीत किया जाना हो, प्रतिशत(नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी) द्वारा धारा-136 के उपबंधो के अधीन परिवर्तित कर दिया गया हो, वहाँ प्रत्येक मामले में देय कर की धनराशि में तदनुरूप परिवर्तन करके, या

(च) स्वामी के आवेदन-पत्र देने पर या ऐसे संतोषप्रद साक्ष्य पर कि स्वामी का पता नहीं चल रहा हैं, और कमी करने की आवश्यकता सिद्ध कर दी गयी है, स्वप्रेरणा से किसी ऐसे भवन से जो

पूर्णतः या अंशतः तोड दिया गया हैं या नष्ट कर दिया गया हैं, मूल्यांकन में कमी करके, या

(छ) किसी लिपिकीय गणना सम्बंधी या अन्य प्रत्यक्ष भूल को ठीक करके।

प्रतिबंध- यह हैं कि किसी हितबंधी व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन की जिसे नगर पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी की उपरोक्त खण्ड-क,ख,ग, व घ के अधीन करने का प्रस्ताव करें या उस दिनांक के सम्बन्ध में जब उक्त परिवर्तन किया जायेगा, कम से कम एक मास की नोटिस देगी।

1- नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा-143 की उपधारा(2) और (3) के उपबंध, जो तदंतर्गत वर्णित आपतियों पर लागू होते हैं,यथासम्भव, उपधारा-2 के अधीन की गयी नोटिस के अनुश्रवण की गयी किसी आपत्ति पर धारा-147 की उपधारा-1 के खण्ड(च) लागू होंगे।

2- अधिनियम की धारा-147 की उपधारा-1 के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन धारा-144 के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जायेगा तथा धार-160 के अधीन की गयी अपील के अधीन रहते हुए उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब अगली किश्त देय हो।

3- सम्पतिकर निर्धारण सूचियों में परिवर्तन हेतु विरासतन, उतराधिकारी, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं बटवारा आदि के लिये परिवर्तन शुल्क रू० 2500.00, आवासीय एवं व्यावसायिक हेतु रू० 5000.00 होगा।

4- सम्पतिकर निर्धारण सूचियों में रजिस्टर्ड बैनामा पर अंकित प्रचलित सर्किल रेट की लागत पर 2 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क जो उपरोक्त आवासीय के लिये रू० 2500.00 व्यावसायिक के लिये रू० 5000.00 से कम नहीं होगा।

15- उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-151(1) से (5) तक दिये गये प्राविधानो के अंतर्गत अध्यासन के कारण सम्पतिकर में तदनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

शास्ति

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रू० 1000.00(रू० एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू० 100.00(रू० एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,
प्रशासक,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला–हरिद्वार

विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293/उपविधि/2022–23–नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार की सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298(2) सूची(क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार की सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन आदि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार द्वारा "भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन उपविधि–2022" बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक १५ जुलाई २०२२ एव् हिंदी सप्ताहिक हिमालयन एक्स्प्रेस ०४ जुलाई २०२२ के अंक में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक २०.०८.२०२२ द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(२) के अंतर्गत **उत्तराखण्ड शासकीय** गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि **उत्तराखण्ड शासकीय** गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन उपविधि-2022"

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार "भवन निर्माण, पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन उपविधि-2022" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमा में प्रवृत होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2- परिभाषाएँ

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमा से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) "निकाय" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

3- नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-178 की उपधारा (2) के अभिदेश के अनुसार यह चाहती है कि निकाय की सीमान्तर्गत प्रत्येक प्रकार के भवन निर्माण की सूचना निम्न उपनियमों के अधीन निकाय को दी जाये।

4- भवन निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मुख्य परिवर्तन के विचार की सूचना निम्नलिखित उपनियमों के अनुसार दी जायेगी मानचित्र को डिग्री/डिप्लोमा धारी इंजीनियर जिसका प्रदेश में पंजीकरण हो तथा सचिव उत्तराखंड शासन आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2269/V/आ०-2007-55(आ०)/2006 टी०सी० दिनांक 06 नवम्बर, 2007(समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए मानचित्र तैयार किया जायेगा।

5- 1 मीटर के बराबर 1 सैंटीमीटर पैमाने में मानचित्र तैयार किया जायेगा जिसमें भवन की स्थिति तथा चित्रों के साथ तत् सम्बन्धित भवन का उत्तरी बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाया जायेगा, मानचित्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे. इस मानचित्र में वह पूर्ण विवरण होगा, जिसमें निकाय प्रस्तावित भवन की उपयुक्तता पर विचार कर सके। मानचित्र में निम्नलिखित विवरण विशेष रूप से दिखाये जाने चाहिए-

(क) प्रस्तावित भवन को उससे मिलने वाली सड़को, गलियों, दूसरे भवनों तथा जायदाद से सम्बन्धित स्थिति तथा मौहल्ला लिखना चाहिये,उसमें मिलने वाली गलियों और चौंडाई भी लिखनी चाहिए, ऐसी दशा में जब कि सड़को तथा गलियों की चौंडाई एक सी न हो तो कम से कम चौंडाई भी दिखाई जानी चाहिए।

(ख) समस्त कुओं, पानी की पाइप लाइनों, शौचालयों तथा अन्य सफाई व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखायी जाये।

(ग) मानचित्र में निम्नलिखित बाते भी दिखायी जाये-

(i) गृह, तालाब, भवन की स्थिति से सम्बन्धित सड़क या जायदाद और खाली पडे स्थान।

(ii) पहली या ऊपरी सतह तथा प्रत्येक अतिरिक्त सतह।

(iii) मकान के मुख्य अगले भाग की कुर्सी।

(घ) मानचित्र में समस्त नये काम प्रथम रंगो से दिखाई जाये और इनमें प्रयोगित रंगो की तालिका भी मानचित्र में होनी चाहिए।

(ङ) किसी भी भवन में संडास अथवा खुला शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6- कोई शौचालय सार्वजनिक सड़क की ओर नहीं खुलने दिया जायेगा, जब तक कि 1.50 मीटर ऊँचा अतिरिक्त दरवाजा या 1.50 मीटर ऊँची दीवार इस स्थिति के साथ न बनायी जाये कि अतिरिक्त दरवाजा या दीवार द्वारा शौचालय से पर्दा न किया हो।

7- प्रत्येक शौचालय व मूत्रालय का फर्श जो पक्के मकान से सम्बन्धित हो वह बिना चमकदार पालिश की हुई टाईल्स, पत्थरों, प्लेटों, पक्का सीमेंट प्लास्टर अथवा न घुलने वाले मसाले से जिनकी मोटाई 2 सैंटीमीटर से कम न हो, नहीं बनाया जायेगा।

8- पक्के मकानों की नालियों जिनमें होकर मकान का गंदा पानी जाता है वह पक्के मिट्टी के अथवा अर्ध गोलाकार बर्तन से व सीमेंट से प्लास्टर की हुई ईंटों से बनायी जायेगी।

9- तंग गलियों में पक्के मकानों के पतनाले होगे/लोहे के पतनाले अथवा निचले नलों के पतनाले होगे, जिसमें बंद होकर छत, छज्जा या अन्य प्रक्षेपणों का पानी निकाला जायेगा। लोहे के बंद पतनाले या निचले नल मजबूती के साथ लगवाये जायेंगे जिसके निचले भाग में कोहनी होगी। चौडी सड़को में उस सड़क पर प्रत्येक परनाले के नीचे पत्थर कि शिला डाली जायेगी।

10- धारा-181 के संदर्भ में उल्लिखित अनुमति की अवधि एक वर्ष होगा तथा प्राप्त स्वीकृति की समाप्ति के पश्चात कार्य नहीं किया जायेगा। जब तक दोबारा स्वीकृति के लिये आवेदन न किया गया हो।

11- स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी कार्य को जबकि उसका निर्माण किया जा रहा हो अथवा यह सूचना कि कार्य पूरा हो चूका है प्राप्त होने के एक महीने के अंदर अथवा ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर कार्य की समाप्ति के पश्चात किसी क्षण भी निरीक्षण कर सकता है।

12- मानव निवास के लिये बनाया हुआ अथवा मानव निवास में प्रयुक्त होने वाले कमरे में कम से कम 2 हवादार खिडकिया होगी, जिनका पूरा क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

13- जबकि मकान मानव निवास के काम आता हो, उसकी भूमि में तिहाई क्षेत्रफल से अधिक पर मकान नहीं बनाया जायेगा। किंतु 2 मंजिले मकान में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

14- मकान की कुर्सी का सबसे निचला भाग सामने वाली सड़क पर सबसे ऊंचे बिंदु कम से कम 40 सैंटीमीटर ऊँचा होगा और उसकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पानी बाहर जाने का प्रबंध होगा।

15- किसी सड़क, गली, गलियारे या मुहाने से भवन का अगला स्थान पूरी लम्बाई से कम से कम 1.25 मी० खुला होगा यदि वह सड़क गली या गलियारे किसी पार्क या विकास क्षेत्र को जाती हो तो वह स्थान 1.5मी० खुला होगा, इस स्थान पर चबूतरा, मेहरा अथवा अन्य प्रक्षेपण जो बाहरी हवा के लिये खुला रहे, कुछ नहीं बनाया जायेगा।

16- निकाय के अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दी गयी स्वीकृति को रद्द कर सकता है संशोधन कर सकता है यदि यह ज्ञात हो जाये कि स्वीकृति धोखे अथवा मिथ्या कथन के फलस्वरूप हो गयी थी तो ऐसा किया गया कार्य बिना स्वीकृति के किया गया कार्य समझा जायेगा किंतु प्रतिबंध यह है कि स्वीकृति को रद्द करने अथवा संशोधन करने के पूर्व निकाय द्वारा सम्बन्धित पक्ष को सुनने के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी।

17- (अ)- कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक की वह धारा-178 के अनुसार सूचना न दी हो तथा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निम्न शुल्क नगर पंचायत के कार्यालय में जमा न कर दिया हो।

i. नया भवन भूमि तल के निर्माण के लिये रू० 50 प्रति वर्ग मी०।
ii. भवन का पुनर्निर्माण अथवा उसमें कोई परिवर्तत करने के लिये रू० 20 प्रति वर्ग मी०।
iii. भूमि तल के बाद भवन निर्माण प्रति तल रू० 30 प्रति वर्ग मी०।

(ब)- कोई भी व्यक्ति/ फर्म य कम्पनी व्यावसायिक/शैक्षिक/चिकित्सा संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाऐ/औद्योगिक एवं अन्य विविध प्रकार के भवन निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि धारा-178 के अनुसार सूचना न दी हो अथवा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निर्धारित शुल्क नगर पंचायत में जमा न कर दिया हो।

18- मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में-

सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण अथवा उसमें परिवर्तन करने की स्वीकृति निकाये द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं दी जायेगी यदि ऐसे भवन के निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल-

(क)- निम्नलिखित की एक फर्लांग अर्धव्यास में है-

i. कोई आवासीय संस्था जो किसी भी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कॉलेज या लड़कियो के स्कूल से संलग्न हो या
ii. कोई सार्वजनिक अस्पताल जिसमें भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियो के लिये एक बड़ा कक्ष अथवा
iii. कोई अनाथालय जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्ति रहते हो जो किसी घनी आबादी के ऐसे आवासीय क्षेत्र में हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिए हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से घनी आवासीय प्रयोजनों के लिये सुरक्षित हो या सामान्यतः प्रयुक्त होता हो या किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी विधि के अधीन किसी गृह निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा अन्य प्रकार के आवासीय प्रयोजनों के लिये सुरक्षित हो किंतु प्रतिबंध यह है कि चलचित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किए जाने के लिये अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की आज्ञा उस समय तक नहीं दी जायेगी जबतक निकाय को यह समाधान न हो जाये नक्शों तथा उसकी प्रविष्टियाँ के सम्बन्ध में सिनेमा फोटोग्राफर एक्ट 1916 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी हो।

19- निम्नलिखित शुल्क से मुक्त रहेंगे-

(क)- मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरूद्वारा (भवनों का निर्माण इनसे सम्बंधित व्यावसायिक व अन्य धार्मिक स्थान व संस्थाएँ सम्मिलित नहीं होगे)

शास्ति

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा-299(1) के अधीन शक्तियों क प्रयोग करके नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रू० 10000.00(रू० दस हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू० 500.00(रू० पांच सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,
प्रशासक,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला–हरिद्वार

विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293/उपविधि/2022–23–नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला–हरिद्वार सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ज)(च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा द्वारा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 कि उपधारा–1(II)(III) एवं धारा–294 के तहत विभिन्न व्यापार और आजीविका पर लाइसेंस शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/वी–95–204(जरनल)/94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार विभिन्न व्यवसायों हेतु "व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि–2022" बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के अंक १६ जुलाई २०२२ में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक २०.०८.२०२२ द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(२) के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022"

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार "व्यवसायिक लाइसेंस एवं शुल्क वसूली उपविधि-2022" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमा में प्रवृत होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमा से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत) संशोधन एवं उपांतरण आदेश-2002 से है।

(छ) **"लाइसेंस"** का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार की सीमांतर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यापार और आजीविका के लाइसेंस दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं।

(ज) **"ट्रैड लाइसेंस"** का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 1334/IV (2)-श०वि०-2020-17(सा०)/20 दिनांक 10.12.2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड नगर पालिका एवं नगर पंचायत परिष्करण उपविधि 2020 से हैं।

(झ) **"अवधि"** का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा(1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिये तक दिये जाने वाले व्यावसायिक लाइसेंस से हैं।

3- **लाइसेंस-** आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो(पासपोर्ट साइज) खींची होनी तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं विवरण भी देना होगा।

4- प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरांत 15 दिवस के अंदर शुल्क लेकर लाइसेंस दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी।

5- सूची में वर्णित व्यावसायिक लाइसेंस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च(एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो 10 प्रतिशत लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुये वसूल किया जायेगा।

6- लाइसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

7- जांचकर्ता के जांच के समय व्यवसाय के सम्बंधित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का होगा।

8- लाइसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेंसी, अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता हैं, जो नगर पंचायत के कर निरीक्षक स्तर से कम नहीं होगा।

9- लाइसेंस धारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अंदर नगर पंचायत में अपने पुराने लाइसेंस विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।

10- उक्त सूची में वर्णित लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेंस अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेंस निरस्त कर सकता हैं। लाइसेंस अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता हैं तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष, नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार में निहित होगा।

11- व्यावसायिक लाइसेंस की दरें प्रतिवर्ष निम्नवत होगी, जो व्यापारी/व्यक्ति लाइसेंस नहीं बनाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बकाया लाइसेंस की धनराशि की वसूली 10 प्रतिशत सर-चार्ज सहित भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर० सी०) जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क की दरें

क्र0 सं0	मद का नाम	लाइसेंस शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
1	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	1000.00
2	होटल लाजिंग/ गेस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	2000.00
3	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	5000.00
4	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	6000.00
5	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	10000.00
6	उपरोक्त 50 शैया से ऊपर	12000.00
7	तीन सितारा होटल	15000.00
8	पांच सितारा होटल	20000.00
9	रेस्टोरेंट उच्च श्रेणी	5000.00
10	रेस्टोरेंट मध्यम श्रेणी	3000.00
11	रेस्टोरेंट सामान्य श्रेणी	2000.00
	परिवहन	
12	घोड़ा तांगा	100.00
13	रिक्शा किराये पर	300.00
14	रिक्शा(निजी चालित)	200.00
15	ठेला/ठेली	300.00

16	हाथ ठेली	250.00
17	बैलगाडी/भैंसागाडी	200.00
18	ट्रेक्टर ट्रॉली/छोटा हाथी	500.00
19	अन्य चार पहियों के वाहन(व्यावसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	500.00
20	मोटर गैराज	1500.00
21	स्कूटर गैराज/रिपेयर शॉप	1000.00
22	मोटर वाहन एजेंसी(सेल्स/सर्विस)	5000.00
23	स्कूटर एजेंसी(दो पहिया/तीन पहिया)	2000.00
24	साइकिल की दुकान	1000.00
	पेट्रोलियम	
25	पेट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	10000.00
26	पेट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	5000.00
27	जनरेटर, डीजल/पेट्रोल	1000.00
28	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	1000.00
	अन्य व्यवसाय	
29	नर्सिंग होम/अस्पताल	2000.00
30	क्लीनिक	500.00
31	मेडिकल स्टोर	1000.00
32	कृषि यन्त्र, दवाइयाँ एवं फर्टीलाइजर	1000.00
33	धुलाई गृह (लान्ड्री)	1000.00
34	ड्राई क्लीनर	2000.00
35	फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड	8000.00
36	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रतिशाखा	10000.00
37	फाउंडिग इंजीनियरिंग इंड्रस्टियल	2000.00
38	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	2000.00
39	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2000.00
40	आटा चक्की	1000.00
41	गूदड/गुड गोदाम	1000.00
42	कंकड तथा सुर्खी की भट्टी	2000.00
43	चूना	1000.00
44	ईट का भट्टा	10000.00
45	साबुन फैक्ट्री	2000.00
46	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, ईटा बालू (थोक मोरंग, मारवल, टाईल्स,सेनेटरी, हार्डवेयर)	5000.00
47	फूट्कर बिजली के सामान के विक्रेता	500.00
48	कपड़ा, थोक विक्रेता	1000.00
49	कैटरिंग	1000.00
50	बेकरी(भट्ठी)	2000.00
51	बेकरी(पॉवर)	1500.00
52	हेयर कटिंग सैलून	300.00
53	ब्यूटी पार्लर	1000.00

54	कुकिंग गैस एजेंसी	1000.00
55	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
56	टैलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	500.00
57	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	300.00
58	कोयला (थोक विक्रेता)	500.00
59	कोयला (फुटकर विक्रेता)	200.00
60	पेंट की दुकान	500.00
61	ज्वैलर्स (बडे) 5लाख से ऊपर टर्नओवर	2000.00
62	ज्वैलर्स (छोटे) 5लाख तक टर्नओवर	1000.00
63	विज्ञापन एजेंसी	3000.00
64	डेयरी (दूध,पनीर, दही एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	1000.00
65	भूसा (थोक विक्रेता)	1000.00
66	भूसा (फुटकर विक्रेता)	500.00
67	ऑडियो /विडियो लाइब्रेरी	500.00
68	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनीयो के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
69	केबिल टी0वी0	1000.00
70	आर्किटेक्ट, कंसलटेन्ट विधि चार्टेड एकाउंटेंट, फास्ट एकाउंटेंट	2000.00
71	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
72	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	500.00
73	आईस फैक्ट्री	500.00
74	टेंट हाउस	1000.00
75	टूर एण्ड ट्रैवल्स	2000.00
76	साईबर कैफे (नेट सेवा प्रदाता)	1000.00
77	मसाज केंद्र/आयुर्वेदिक/प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र	2000.00
78	संगीत कला केंद्र	1000.00
	दुकान	
79	अंग्रेजी शराब की दुकान	20000.00
80	देशी शराब की दुकान	15000.00
81	पान की दुकान	200.00
82	चाय की दुकान	300.00
83	जनरल मर्चैंट की दुकान (फुटकर)	500.00
84	किताबों की थोक दुकान	500.00
85	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
86	न्यूज पेपर	200.00
87	लकडी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	2000.00
88	लकडी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
89	टिम्बर मर्चैंट	5000.00
90	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	300.00
91	टी0वी0 शॉप/ इलेक्ट्रोनिक वस्तुए	1000.00

92	फर्टिलाईजर शॉप	1000.00
93	मिठाई की दुकान	1000.00
94	चाट/बताशे की दुकान	1000.00
95	ड्राई फ्रुट विक्रेता (थोक विक्रेता)	1000.00
96	ड्राई फ्रुट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	500.00
97	गैस फिलिंग प्लांट	2000.00
98	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	500.00
99	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	1000.00
100	मसाले थोक विक्रेता	1000.00
101	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	1000.00
102	फर्नीचर विक्रेता	1000.00
103	क्रॉकरी विक्रेता	1000.00
104	चूडी विक्रेता	500.00
105	मिट्टी के तेल की दुकान	500.00
	पशुपालन	
106	प्रति पशु	
	1- कुत्ता	100.00
	2- गाय/भैंस	20.00
	3- अन्य पशु	10.00

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-29 की उपधारा (1) के अंतर्गत दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 रुपया तक ही हो सकता हैं। उपनियम का उल्लंघन निरंतर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरंतर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता हैं मूल्य रू0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार, नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार में अंतिम रूप में निहित होगा।

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,
प्रशासक,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेडा जिला–हरिद्वार

विज्ञप्ति

26 अगस्त, 2022 ई0

पत्रांक 293/उपविधि/2022–23–उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2002) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश–2007 की धारा–298 (झ) का (घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–3, 6 व 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित "ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम–1916" के नियम–15(ण), 15(च) एवं 15(य,च) तथा उत्तराखण्ड कूडा फेंकना एवं थूकना अधिनियम–2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला हरिद्वार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपने सीमांतर्गत "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2022" बनायी गयी है, जिसे नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 की उपधारा–1 के अंतर्गत जनसामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु उनसे आपत्तियां एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के अंक १९ जुलाई २०२२ में प्रकाशित हुई है, परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार के प्रशासक महोदय की अनुमति दिनांक २०.०८.२०२२ द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301 उपनियम-(२) के अंतर्गत **उत्तराखण्ड शासकीय गजट** में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है। यह उपविधि **उत्तराखण्ड शासकीय गजट** में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022"

अध्याय-1

सामान्य

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

(क) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार **"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि-2022"** कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2- यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जनपद-हरिद्वार(उत्तराखण्ड) की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

3- परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू रहेगी-

(क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ है, उद्यानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडो की छँटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग, टहनिया, लकडी की कतरन, भूसा, सुखी पत्तियाँ, पेडो की छँटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन"** का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन नियम, 2016(जिसे बाद में यहाँ एस0डब्ल्यू0एम0 नियम कहा जायेगा) के नियम 3(1)(8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या अन्य स्थान तक पहुँचाना।

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद-हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक एवं अधिशासी अधिकारी, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी।

(ङ) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल है, जिनका रख-रखाव इन उपविधियों के अंतर्गत किया जाना है।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है नगरपालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/ या अधिभोगियो द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियो के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिये स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट के बिंदु दर बिंदु संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को नगरपालिका के वर्कर या ऐसे ठोस अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिये नगर पंचायत इमलीखेडा जनपद-हरिद्वार द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसैंस प्रदत व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत लाइसैंस प्रदत एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।

(ञ) **"ई-कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1) (आर) में निर्दिष्ट किया गया है।

(ट) **"फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)-** का अर्थ हैं, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है।

(ठ) **"ठोस अपशिष्ट"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फैंकना अथवा संग्रह करना इन उपविधियों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ हैं, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना,जहाँ वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिसा कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है।

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

(त) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस अपशिष्ट से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते है; और उनके ईंधन पैलेटस भी शामिल होते है, जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता है।

(थ) **"निर्धारित"** का अर्थ है एसडब्लूएम नियमों या इन उपविधियों द्वारा निर्धारित;

(द) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिये सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं,

(ध) **"संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी ना फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(न) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पंचायत के इलाकों में ठोस अपशिष्ट एकत्र करने या हटाने अथवा नलियों को साफ करने के लिये नगर पंचायत/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(ऩ) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उपविधि से सम्बद्ध शेड्यूल से है।

(प) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नहर पंचायत द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या

प्रभार, ताकि ठोस अपशिष्ट संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके।

(फ) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिसपर किसी का कब्जा न हो।

(2) यहाँ प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4- ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

i. सभी ठोस अपशिष्ट उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को नियमित रूप से पृथक करें और उसे संग्रहित करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय-समय पर जारी नगरपालिका के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

ii. प्रत्येक बल्क ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट को पृथक करें और उसे संगृहित करें निम्नांकित तीन वर्गों में-

(क) गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानो में जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट, जैविक(गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायो गैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को नगर पंचायत द्वारा समय- समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

iii. पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कूडेदानो का रंग इस प्रकार होगा-

हरा- जैव अपघटीय कचरे के लिए,

नीला- गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए,

काला- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

iv. सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पंचायत के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे की उत्सर्जको द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालो को सौंपी जाए। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

v. 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पंचायत की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जको द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सोपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान, कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए ठोस अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vi. सभी होटल और रेस्त्रां, नगरपालिका के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गये ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से

इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

vii. कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हो, ऐसा करने के लिये यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पंचायत को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग-अलग किया जाए, ताकि नगर पंचायत द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

viii. सैनेटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बंधी विनिर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचो अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए बनाये गए कूडेदानो में रखा जाना चाहिये।

ix. प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेंटे, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियाँ, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहीत करेगा और उसे नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

x. उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर नगर पंचायत के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

xi. घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

xii. निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जाएगा।

xiii. बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्सम्बंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

xiv. निर्दिष्ट बूचडखानो और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु वध सम्बंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्य कर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुँचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरों में डालना निषेध होगा।

xv. पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जको द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पालिका श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/ कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जको के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस अपशिष्ट संग्रह

5- **ठोस अपशिष्ट का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-**

i. नगर पंचायत के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को घर-घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का पालन किया जाएगा, जिनके

अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने कि अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ii. प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने के लिये क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास-खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगरपालिका वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय सामान्यतः प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जको से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय पर होगा।

iii. ठोस अपशिष्ट को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जको से अविशिष्ट ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएंगे।

iv. सब्जी, फल, फूल, मांस,पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

v. बागवानी और उद्यान संबंधी ठोस अपशिष्ट अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिये सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

vi. फलो और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे ठोस अपशिष्ट को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

vii. कंटैनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो ठोस अपशिष्ट का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

viii. ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पंचायत द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(प) और (अ) के अंतर्गत आने वालो को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

ix. ठोस अपशिष्ट संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होगें। ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।

x. स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घण्टी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

xi. प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएँ और नगरपालिका द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएँ तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पंचायत द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिंदु, प्रारम्भ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पंचायत अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित

समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसी जानकारी नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xii. तंग गलियों में, जहाँ ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहाँ एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साइकिल रिक्शा काम पर लगाया जायेगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

xiii. अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहाँ थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहाँ साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

xiv. ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहाँ थ्रीव्हीलर /रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/ गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहाँ कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पंचायत की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

xv. ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानो और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

xvi. नगर पंचायत या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रह के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगे।

अध्याय-4

ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण

6- द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा।

I. घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

II. ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग-अलग स्टोरेज होगे-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

III. पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पंचायत द्वारा चिह्नित अलग-अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा-

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पंचायत समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जको को करना होगा।

IV. नगर पंचायत स्वयं अथवा बाहरी एजेंसीयो के जरिये ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा न हो।

V. द्वितीयक संग्रहण डिपुओ में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पंचायत या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसीयो द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगो के होगे।

VI. संग्रहण केंद्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना हैं।

VII. संग्रहण केंद्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

VIII. सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उपनियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखे और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखे ताकि वहाँ हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संग्रहीत किया जा सके।

IX. नगर पंचायत या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

X. **सूखे कचरे (गैर-जैव अपघटीय कचरा) के लिए रिसाइकलिंग सेंटर-**

(क) नगर पंचायत अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने सम्बंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर-घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा(गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाइकलिंग केंद्रों को स्थानांतरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटों और/ या नगरपालिका से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटो को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होगे।

XI. **निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र**

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा, जहाँ निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पंचायत अपनी एजेंसी को या छुटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जको से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस अपशिष्ट की ढुलाई

7- ठोस अपशिष्ट की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर की जाएगी-

i. ठोस अपशिष्ट की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाँति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगरपालिका द्वारा चुनी गयी प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

ii. नगर पंचायत द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

iii. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुँचाया जाएगा।

iv. जहाँ कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

v. एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।

vi. निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

vii. नगर पंचायत कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और गलियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

viii. ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।

ix. कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहाँ कही प्रदान किए गए हो, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

x. यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नहीं पाए जाएंगे, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

xi. फिक्सड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

xii. कचरे कि ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोत से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

xiii. कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएगी।

xiv. इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडेदानो से कचरा प्राप्त करेगा।

xv. परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।

xvi. एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय ले और कूडा कर्कट इधर-उधर न फैले।

xvii. ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्दगिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

xviii. नगर पंचायत अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग

8- **ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग-**

i. नगर पंचायत ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटको का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित

प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनायी जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी दिशा निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो- मिथैनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति।

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथैनेशन प्लांटों के जरिए।

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए।

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

ii. नगर पंचायत रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

iii. कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

iv. नगर पंचायत सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसीयो को भेजा जाए।

9- ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश-

i. नगर पंचायत सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों औऱ 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं , बैंकट हॉलो और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासम्भव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथैनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जको को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

ii. नगर पंचायत यह नियम प्रवृत करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

iii. नगर पंचायत यह नियम प्रवृत करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासम्भव पार्को और उद्यानों में ही किया जायेगा।

iv. नगर पंचायत कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्सम्बंधी यूनिट के आस पास स्वच्छता स्थितियाँ बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस अपशिष्ट का निपटान

10- ठोस अपशिष्ट का निपटान

नगर पंचायत ठोस अपशिष्ट और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सैनेटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11- ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

(क) कचरा उत्सर्जको से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिये नगर पंचायत द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जको से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पंचायत इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रायोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पंचायत ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाएगा।

(ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि 6 महीने की बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची-1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये कि भाँती वसूल की जाएगी।

12- एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दण्ड-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची-2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दण्ड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, चौंकी थाना प्रभारी होगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते है। जुर्माना या दण्ड राशि अनुसूचि-2 में दी गयी हैं।

(घ) अनुसूचि-2 में वर्णित जुर्माना अथवा दण्ड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जाएगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13- ठोस अपशिष्ट उत्सर्जको के दायित्व-

i. कूडा फेंकने पर पाबंदी

(क) उत्तराखण्ड कूडा फैकना एवं थूकना अधिनियम-2016 में दिए गए प्राविधानो के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडेदानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी सम्पत्ति पर कूडा फैलाना- अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फैकना- किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नहीं फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना- कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड य अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।

(ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी- कुता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान- कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

ii. कचरे को जलाना- सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

iii. "स्वच्छ क्षेत्र"- प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/ गटर, सड़क किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

iv. सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पंचायत से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

v. ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध सफाई निरीक्षक या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत कर्मचारी प्राप्त करेगा, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी की उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गयी है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें सम्पति को पहुँचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पंचायत की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हें नगर पंचायत के सम्बद्ध सफाई निरीक्षक को आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

vi. खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पंचायत निम्नांकित ढंग से निपटेगा-

(क) नगर पंचायत किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता हैं तो नगर पंचायत निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है-

I. ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

vii. डिस्पोजेबल उत्पादों और सैनेटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व-

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पंचायत के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारम्भ करने वाले ब्रैंड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पंचायत को आवश्यक वितीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पंचायत इस प्रावधान के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते है, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएगी कि उनके उत्पादों में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैंड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14- **नगर पंचायत के दायित्व-**

i. नगर पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भू-भाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता हैं, अथवा सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था का सहारा ले सकता हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

ii. नगर पंचायत अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानो का रख रखाव करेगा।

iii. नगर पंचायत विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटो आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

iv. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिससे कम से कम अधिशासी अधिकारी रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

v. प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पंचायत जहाँ कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसीयो से यह काम करा सकती है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

vi. नगर पंचायत अद्यतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

vii. नगर पंचायत सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड सम्बंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

viii. नगर पंचायत कचरा उत्सर्जको को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि व गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करें। नगर पंचायत विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

ix. नगर पंचायत स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहाँ कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उसमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रिसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रिसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

x. नगर पंचायत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालो) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

xi. नगर पंचायत यह सूचित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाए, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

xii. नगर पंचायत कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

xiii. किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति मे, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पंचायत को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

xiv. नियमित जांच- अध्यक्ष/प्रशासक अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

xv. नगर पंचायत अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल ऐप्लीकेशन् अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

xvi. नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्यौगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन /दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने का प्रयास करेगा।

xvii. पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच- अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

xviii. नगर पंचायत एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किए गए है।

अध्याय-10

विविध

15- इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पंचायत के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामलों में अंतिम होगा।

16- सरकारी निकायों के साथ समन्वय- नगर पंचायत अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17- सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और इन उपविधियों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रुपये में)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल काई धारक)	रु 30.00 प्रतिमाह
2	गरीबी रेखा से उपर एवं मध्यम आय वर्ग के मकान/परिवार	रु 50.00 प्रतिमाह
3	उच्च वर्ग के परिवार/मकान	रु 100.00 प्रतिमाह
4	सब्जी एवं फल विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन ठेली पर फेरी
		रु 50.00 प्रतिमाह दुकान एवं फड
5	मांस एवं मछली विक्रेता	रु 500.00 प्रतिमाह
6	रेस्टोरेंट	रु 100.00 प्रतिमाह छोटे रेस्टोरेंट
		रु 500.00 प्रतिमाह मध्य रेस्टोरेंट
		रु 1000.00 प्रतिमाह बड़े रेस्टोरेंट
7	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	रु 200.00 प्रतिमाह 20 बेड तक
		रु 500.00 प्रतिमाह 21 बेड से 40 बेड तक
		रु 1000.00 प्रतिमाह 41 बेड से 100 बेड तक तथा इससे अधिक पर प्रति बेड रु 10 अतिरिक्त
8	धर्मशाला	रु 500.00 प्रति उत्सव/समारोह
9	बारातघर (चेरिटेबल)	रु 500.00 प्रति उत्सव/समारोह
	बारातघर (नॉन-चेरिटेबल)	रु 2000.00 प्रति उत्सव/समारोह
10	बेकरी	रु 200.00 प्रतिमाह
11	कार्यालय/बैंक	रु 200.00 प्रतिमाह 50 कर्मचारी तक
		रु 500.00 प्रतिमाह 51 से 100 कर्मचारी तक
		रु 800.00 प्रतिमाह 101 से अधिक कर्मचारी तक
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	रु 2000.00 प्रतिमाह 50 बेड तक और उससे अधिक पर रु 10.00 प्रति बेड
13	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	रु 1000.00 प्रतिमाह 500 विद्यार्थियों तक
		रु 5000.00 प्रतिमाह 501 से अधिक विद्यार्थियों तक

14	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	रु 500.00 प्रतिमाह 20 बेड तक
		रु 1000.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक
		रु 2000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक
		रु 5000.00 प्रतिमाह 101 से अधिक बेड तक
15	क्लीनिक/ पैथोलोजी	रु 100.00 प्रतिमाह क्लीनिक
		रु 300.00 प्रतिमाह पैथोलोजी
16	दुकान/चाय की दुकान	रु 100.00 प्रतिमाह छोटी दुकान
		रु 200.00 प्रतिमाह बडी दुकान
17	फैक्ट्री	रु 500.00 प्रतिमाह छोटी
		रु 1000.00 प्रतिमाह बडी
18	वर्कशॉप	रु 200.00 प्रतिमाह छोटा वर्कशॉप
		रु 500.00 प्रतिमाह बड़ा वर्कशॉप
19	कबाडी	रु 200.00 प्रतिमाह छोटा कबाडी
		रु 500.00 प्रतिमाह बड़ा कबाडी
20	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु 10.00 प्रतिदिन ठेली/फड
		रु 500.00 प्रतिमाह दुकान
21	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमे अपशिष्ट उत्पन हो।	रु 500.00 प्रतिदिन होटल
		रु 1000.00 प्रतिदिन वैडिग पॉइंट
		रु 2000.00 प्रतिदिन सार्वजनिक/निजी स्थल पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन
22	ढहान तथा निर्माण सम्बंधी अपशिष्ट	रु 200.00 प्रतिदिन 0.50 घनमीटर तक
		रु 500.00 प्रतिदिन 1.00 घनमीटर तक
		रु 1000.00 प्रतिदिन 6.00 घनमीटर तक तथा उससे अधिक पर रु 200.00 घनमीटर अतिरिक्त
23	सिनेमा हॉल	रु 500.00 प्रतिमाह
24	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु 500.00 बडी दुकान अथवा टुपलैक्स दुकान
		रु 1000.00 शॉरुम/काम्पलैक्स/टावर

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र0 सं0	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			बल्क जनरेटर	500.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हॉल, फेस्टिवल हॉल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले स्थल	5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	2000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	200.00

			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	200.00
	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(2)	सड़क/गली में 1.कूडा फैकना, थूकना	उल्लंघनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फैकना एवं थूकना प्रति प्रतिशेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत होगी।
		2.नहाना, पैशाब करना,जानवरों को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना		500.00
2.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(1) (ख)और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200.00
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	500.00
3.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500.00
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	2000.00
4.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट)	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	2000.00
5.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(4),	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	5000.00
6.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(5),	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वैंडर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन	उल्लंघनकर्ता	200.00
		डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर		
7.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों, सडकों, गालियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500.00
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा।				

8.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(5),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए	5000.00
			बाजार एसोसिएशन, संघ	10,000.00
9.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(7),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5000.00
			संस्थान	10,000.00
10.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 4(8),	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10,000.00
			रेस्टोरेंट	5000.00
11.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 17(2),	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50,000.00
12.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियां	25,000.00
13.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 15य(ड)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केंद्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट कॉम्पलेक्स आदि	25,000.00
14.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब कीं बोतल, सोफ्ट ड्रिंक, कैन टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	500.00
15.	एसडब्लयूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगरपालिका की उपविधि को होटल/अथितिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/अतिथि ग्रह स्वामी	500.00
16.		सार्वजनिक सभाओं(जुलूस प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले,राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिविधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	2000.00

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

विजयनाथ शुक्ल,
प्रशासक,
नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 48 हिन्दी गजट/682–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।